ए.

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम

मेसर्स इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2018 की सिविल अपील संख्या 11330)

बी.

02 मई, 2023

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

वित्त अधिनियम, 1994-एस.64,65(105)(जेडजेडक्यू), 65 (105) (जेडजेडजेडए), 66,67 और 73-सेवा (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006-नियम 2 ए-सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004-सेवा कर का भुगतान-उत्तरदाता-निर्धारिती के लिए देयता पूर्वनिर्मित इस्पात भवनों के स्थल पर निर्माण, आपूर्ति और निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई थी-उन्होंने "वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवाओं" श्रेणी के तहत सेवा कर का भुगतान किया जैसा कि यू/एस संदर्भित है।65(105)(वित्त अधिनियम, 1994 का)-प्रत्यर्थी ने सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया और नकद में सेवा कर का अल्प भुगतान किया-राजस्व का विचार था कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा "कार्य अनुबंध सेवा" (एस के उपखंड (एस) के तहत प्रभार्य) के तहत वर्गीकृत थी। 65(105) और प्रत्यर्थी के लिए सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए का पालन करना या रचना योजना को अपनाना अनिवार्य था-न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 2 ए की प्रयोज्यता पर कोई प्रश्न नहीं था और न ही संयोजन योजना के विकल्प को जबरन लागू करने का कोई प्रश्न था और प्रत्यर्थी इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट का हकदार था-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी -निर्धारिती की ओर से मामला यह था कि नियम 2 ए और यहां तक कि संयोजन योजना में उपयोग किए गए शब्द भी एस के प्रावधानों के अधीन हैं।67 निर्धारिती के पास संपूर्ण अनुबंध मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प था और यह कि नियम 2 ए अनिवार्य नहीं है और संयोजन योजना वैकल्पिक है-क्या एक निर्धारिती जो कार्य अनुबंध सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे नियम 2 ए का पालन नहीं करने का कानूनी अधिकार है और न ही इस आधार पर कि एस के संदर्भ में संयोजन योजना।67 1994 के अधिनियम के अनुसार, एक निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और कार्य अनुबंध सेवा के रूप में पूरे मूल्य पर सेवा कर का प्रेषण और इस प्रक्रिया में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है:प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1994 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2007 के अनुसार 'कार्य अनुबंध सेवा' कहा जा सकता है।64(54) आर/डब्ल्यू।धारा 65 (105) (ज़्ज़ा)-के मामले में

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

977 ए.

978 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

‘कार्य अनुबंध सेवा 'एक निर्धारिती अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित माल के तत्व पर सेवा कर और बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-अपास्त करना के प्रस्तुत करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नियम 2 ए और संयोजन योजना को अनुचित बना देगा-अधिनियम की योजना के अनुसार कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य का निर्धारण नियम 2 ए के अनुसार किया जाना है, हालांकि निर्धारिती को संयोजन योजना का लाभ उठाने के विकल्प के साथ-या तो निर्धारिती को संयोजन योजना के लिए जाना होगा या नियम 2 ए के अनुसार मूल्य का निर्धारण करना होगा और निर्धारिती को सेवा तत्व पर सेवा कर का भुगतान करना होगा और केवल उक्त राशि पर सेनवेट क्रेडिट का दावा करना होगा-इसलिए, अपास्त करना

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**सेवा तत्वों को सेवा कर **(**मूल्य निर्धारण**)** नियम**, 2006** डब्ल्यू**.** ई**.** एफ**.** के नियम **2** ए के हिस्से के रूप में एक वैधानिक मान्यता मिली है।लार्सन एंड टुब्रो के मामले में नियम **2** ए की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है।इसलिए**,** 'कार्य अनुबंध सेवा' के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार एक निर्धारिती सेवा तत्व/प्रदान की गई सेवा के मूल्य पर सेवा कर और अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित माल के तत्व पर बिक्री कर/कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। **[**पैरा **8.4] [1000-**बी**-**सी**]**

ई.

एफ.

2. प्रत्यर्थी **-**निर्धारिती की ओर से यह मामला है कि नियम **2** ए और यहां तक कि रचना योजना में उपयोग किया गया शब्द धारा **67** के प्रावधानों के अधीन है**,** निर्धारिती के पास पूरे अनुबंध मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प था**,** यानी सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि पर और यह कि नियम **2** ए अनिवार्य नहीं है और संरचना योजना वैकल्पिक है। हालाँकि**,** उपरोक्त में कोई सार नहीं है।यदि निर्धारिती की ओर से प्रस्तुतिकरण उस मामले में नियम **2** ए में स्वीकार किया जाता है और संरचना योजना वैकल्पिक हो जाएगी।**[**पैरा **8.8] [1001-**ई**]** ए

जी.

एच.

979

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

3. 'कार्य अनुबंध सेवा' और**/**या रचना कार्य अनुबंध के संबंध में मूल्यांकन नियम**, 2006** के नियम **2** ए के अनुसार मूल्यांकन किया जाना है।यहां तक कि अधिसूचना **32/2007** दिनांक **22.04.2007** के अनुसार एक निर्धारिती के पास कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के **2** प्रतिशत के बराबर भुगतान करके अधिनियम की धारा **66** में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाय प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवा पर सेवा कर देयता का निर्वहन करने का विकल्प होता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम **3 (1)** अधिनियम की धारा **67** और सेवा **(**मूल्य निर्धारण**)** नियम**, 2006** के नियम **2** ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रदान करता है।इसलिए**,** अधिनियम की योजना के अनुसार कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य का निर्धारण नियम **2** ए के अनुसार किया जाना है**,** हालांकि निर्धारिती को संरचना योजना का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।इसलिए**,** या तो निर्धारिती को संयोजन योजना के लिए जाना होगा या नियम **2** ए के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए जाना होगा और निर्धारिती को सेवा तत्व पर सेवा कर का भुगतान करना होगा और केवल उक्त राशि पर सेनवैट क्रेडिट का दावा कर सकता है।**[**पैरा **8.9] [1001-**एफ**-**एच**; 1002-**ए**]4.** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और पूरे मूल्य पर सेवा कर को 'कार्य अनुबंध' के रूप में प्रेषित करता है और निर्धारिती उसी पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है।हालांकि**,** साथ ही सेवा कर **(**मूल्य निर्धारण**)** नियम**, 2006** के नियम **2** ए के संदर्भ में सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता है और चूंकि निर्धारिती ने संयोजन योजना का विकल्प नहीं चुना

है**,** इसलिए मामले को नियम **2** ए के संदर्भ में मांगों की पुनः गणना के लिए वापस भेजा जाना है। चूंकि सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा सीमा की विस्तारित अवधि के संबंध में भी निर्णय नहीं लिया गया है**,** इसलिए सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** को भेजा जाना है।**[**पैरा **9** और **9.1] [1002-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है और यह माना जाता है कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जो

एच.

ए.

इसमें कार्य अनुबंध सेवा के रूप में मूल्य पर माल और सेवाएँ और प्रेषण सेवा कर दोनों शामिल हैं और इस प्रक्रिया में**,** पूरी राशि पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है।यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्धारिती को **(**मूल्य निर्धारण**)** नियम**, 2006** के नियम **2** ए के अनुसार सेवाओं के मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करना होता है और उसके बाद उसी के अनुसार सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना होता है।हालांकि**,** यह भी देखा और माना जाता है कि जनवरी **2007** से मई **2007** की अवधि के लिए मांग अस्थिर है।**[**पैरा **10] [1002-**ई**-**एफ**]**

बी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम लार्सन एंड टुब्रो

(2016) 1 एससीसी 170:[2015] 8 एससीआर 1046; कुल

एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनामवाणिज्यिक करों के उपायुक्त **(2022)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 953;** गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम**.**की स्थिति

सी.

राजस्थान (1993) 1 एससीसी 364:[1992] 3 पूरक।एस. सी. आर. 103-संदर्भित।

डी.

सी. सी. ई. बनाम एस. वी. जिवानी 2014 (35) एस. टी. आर. 351-निर्दिष्ट।संदर्भित निर्णय

[2015] 8 एससीआर **1046**

पैरा **4** में संदर्भित

ई.

[1992] 3 पूरक।पैरा **4.10** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 103**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 11330।

2017 के ए. सं. 70517 में सीमा शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 09.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., सुश्री निशा बागची, शांतनु शर्मा, सुश्री श्रद्धा देशमुख, वी. सी. एस. भारती, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

वी. रघुरमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलेश सेठ, संदीप बिष्ट, दिव्यम गर्ग, यति रंजन, राघवेंद्र सी. आर., रंजन कुमार पांडे, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

981

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद की क्षेत्रीय पीठ (जिसे इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित विद्वान गया है) द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा

विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और सेनवैट क्रेडिट को अस्वीकार करने वाले दिनांकित मूल आदेश को अपास्त करना दिया है, राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:2.1 प्रत्यर्थी -निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के प्रासंगिक शीर्षकों/उप-शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले पूर्वनिर्मित/पूर्व-इंजीनियर इस्पात भवनों और उनके भागों के स्थल पर निर्माण, आपूर्ति और निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था।प्रत्यर्थी के पास उत्पादन की शुरुआत से ही "वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा" और "निर्माण सेवाओं" के तहत सेवाओं के लिए सेवा कर विभाग के साथ सेवा कर के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण था।निर्मित वस्तुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर निर्माण स्थल से हटा दिया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा सेनवैट क्रेडिट दिया गया था।ग्रेटर नोएडा में एक केंद्रीकृत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत इकाई ने सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया

सी.

डी.

ई.

(i) हटाने के समय इकाइयों द्वारा भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क (ii) पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किया गया शुल्क

((iii) निवेश सेवाओं पर भुगतान किया गया सेवा कर।

एफ.

उन्होंने वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम, 1994' के रूप में संदर्भित) की धारा 65 (105) (जेडजेडक्यू) के तहत संदर्भित "वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवाओं" की श्रेणी के तहत इंजीनियरिंग, खरीद आपूर्ति, निर्माण, निर्माण आदि के लिए अनुबंध की सकल राशि पर सेवा कर का भुगतान किया।

जी.

2.2 विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कि प्रत्यर्थी ने उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गलत तरीके से वर्गीकृत किया था, अस्वीकार्य सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया और नकद में सेवा कर का भुगतान किया।विभाग का विचार था कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कार्य अनुबंध के बराबर थीं जो उपखंड [ज़ज़ा] के तहत कर के लिए प्रभार्य थीं।

एच.

ए.

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105)।इसलिए, 'कार्य अनुबंध सेवा' के तहत वर्गीकृत सेवा पर राजस्व के अनुसार उत्तरदाताओं ने निवेश पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया।

2.3 इसलिए, विभाग ने एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी ने जून, 2007 से मार्च, 2012 के दौरान निर्माण सामग्री पर 92,760/- रुपये के सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया था, जो अस्वीकार्य था।यह आरोप लगाया गया था कि उक्त राशि अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के तहत ग्राहक से सेवा कर के रूप में वसूल की गई थी।राजस्व को यह प्रतीत हुआ कि सेवाओं को "कार्य अनुबंध सेवा" के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।प्रत्यर्थी के लिए या तो सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए का पालन करना या संरचना योजना अपनाना अनिवार्य था।उक्त नियम 2 ए और संरचना योजना इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देती है।इसलिए, राजस्व को यह प्रतीत हुआ कि इनपुट पर प्राप्त Rs.112,60,92,760 का सेनवैट क्रेडिट अस्वीकार्य था और इसलिए, उक्त डेबिट के परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान कम हो गया है।

बी.

सी.

डी.

2.4 कारण बताएँ नोटिस जून, 2007 से मार्च, 2012 तक की अवधि से संबंधित था।प्रत्यर्थी सहपठित कारण बताने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही सहपठित वाओं को "वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सहपठित वाओं" के स्थान पर "कार्य अनुबंध सहपठित वा" के तहत फिर सहपठित वर्गीकृत क्यों किया जाए, निर्माण सामग्री के अस्वीकार्य सहपठित नवैट क्रेडिट की राशि Rs.112,60,92,760-को सहपठित नवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 और 3 (1) के संदर्भ में अनुमति नहीं दी जाए; Rs.22,37,01,811 की राशि-अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के तहत वसूल की जाने वाली निर्माण सामग्री पर अस्वीकार्य सहपठित नवैट क्रेडिट सहपठित डेबिट किए गए दायित्व के लिए अल्प भुगतान सहपठित वा कर के कारण; Rs.90,23,90,907 की राशि-कथित रूप सहपठित एकत्र की गई थीआई. डी. 1 के आदेश द्वारा, जिसने सी. ई. एन. वी. ए. टी. क्रेडिट की राशि को अस्वीकार कर दिया था, 92,760/- ने आई. डी. 2 की राशि की पुष्टि की, आई. डी. 4 की राशि का भुगतान कम किया गया था, कारण दर्शाएँ नोटिस में दावे की पुष्टि की।

ई.

एफ.

जी.

एच.

983

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2.5 विभाग ने बाद की अवधि के लिए भी कारण बताएँ नोटिस/मांगों का विवरण जारी किया था।

2.6 दिनांक 18.11.2015 के आदेश द्वारा, विद्वत न्यायाधिकरण ने निर्णय आदेश को अपास्त करना दिया और मामले को इस निर्देश के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस भेज दिया कि प्रत्यर्थी को सुनने के बाद कर देयता को फिर से निर्धारित विद्वान जाए।

बी.

रिमांड पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने 31.03.2017 दिनांकित एक नया आदेश पारित किया और मांगों की पुष्टि की।आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को 'कार्य अनुबंध सेवा' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्होंने सेनवैट क्रेडिट राशि की उपलब्धता को अस्वीकार कर दिया और अधिनियम, 1994 की धारा 73 ए के तहत वसूली का निर्देश दिया।न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष वर्तमान अपील का विषय था।

सी.

2.7 न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई थीः(i) "आईडी। आयुक्त ने सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2 और 3 (1) के संदर्भ में इनपुट पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट को, दिनांकित आई. डी. 1 के कारण बताए जाने के मामले में, 92,760/- रुपये की सीमा तक और ऊपर निर्दिष्ट अन्य 3 नोटिसों के मामले में राशि की अनुमति नहीं दी और यह कि ऐसा आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।

डी.

ई.

(ii) सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए का प्रावधान, "धारा 67 के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति से शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि उक्त नियम 2 ए के तहत निर्धारित प्रावधान, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के अधीन है।

एफ.

(iii) रचना योजना के नियम 3 के प्रारंभिक पैरा में कहा गया है-"अधिनियम की धारा 67 और सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्य अनुबंध सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पास कार्य अनुबंध सेवा पर अपने सेवा कर दायित्व का निर्वहन करने का विकल्प होगा।" यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह कार्य अनुबंध सेवा के संबंध में सेवा कर देयता का निर्वहन करने के लिए सेवा प्रदाता को दिए गए विकल्पों में से एक है और सेवा कर देयता के निर्वहन के लिए संरचना योजना के तहत उक्त नियम को अपनाना अनिवार्य नहीं है।

जी.

एच.

(iv) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने का प्रावधान करती है जिसमें कहा गया है कि "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां सेवा कर किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है, तो ऐसा मूल्य उस मामले में होगा जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि होगी।" इसलिए, उक्त प्रावधान जो प्रकृति में मौलिक है और किसी भी कर योग्य सेवा पर लागू होता है।

बी.

(v) दिनांकित 23.10.2012 के कारण बताए जाने के नोटिस के मामले में सेनवेट क्रेडिट की मांग की पुष्टि काफी समय से प्रतिबंधित है।

सी.

(vi) आक्षेपित क्रम में, आईडी। आयुक्त ने एस. वी. जिवानी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायाधिकरण के फैसले को अलग किया है और जिन आधारों पर आईडी, आयुक्त ने फैसले को अलग किया है, वे अमान्य हैं।"

डी.

2.8 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा की विद्वान अपील को स्वीकार कर लिया है और यह देखते हुए कि संयोजन योजना वैकल्पिक है और उक्त नियमों के नियम 2 ए के प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के अधीन हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को अपास्त करना दिया है।विद्वत

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा 4 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि जहां मूल्य निर्धारित नहीं विद्वान जा सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 67 के उप-नियम (1) से (3) के तहत प्रदान विद्वान गया है, तभी मूल्य निर्धारित विद्वान जाना है जैसा कि नियमों के तहत प्रदान विद्वान गया है।इसलिए, न्यायाधिकरण ने कहा कि नियम 2 ए की प्रयोज्यता पर कोई सवाल नहीं है और न ही रचना योजना के विकल्प को जबरन लागू करने का कोई सवाल है।विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित विद्वान कि इन दोनों परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट का हकदार था।2.9 मूल आदेश को दरकिनार करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

जी.

3. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान एएसजी, राजस्व की ओर से पेश हुए हैं और श्री वी. रघुरमन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रत्यर्थी -निर्धारिती की ओर से पेश हुए हैं।

एच.

985

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री एन. वेंकटरमन ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेश की शुद्धता और वैधता को चुनौती देते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:(i) कि विवादित अवधि जनवरी, 2007 से मार्च, 2014 तक है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 'कार्य अनुबंध सेवा' की परिभाषा को वित्त अधिनियम, 1994 डब्ल्यू. ई. एफ. में लाया गया था।इसलिए, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि जनवरी, 2007 की अवधि के लिए 31.05.2007 की मांग इस न्यायालय के फैसले के आलोक में बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

बी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम का मामला। लार्सन एंड टुब्रो**, (2016) 1** एस**.** सी**.** सी**. 170** के साथ**-**साथ टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर उपायुक्त**, (2022)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 953**।

सी.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जनवरी, 2007 से मई, 2007 की अवधि के लिए मांग टिकाऊ नहीं है और इसलिए उस हद तक मांग चली जानी चाहिए।

डी.

4.2 हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 01.06.2007 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए मांगें टिकाऊ हैं और मूल आदेशों को बहाल करने की आवश्यकता है।

4.3 श्री एन. वेंकटरमण, विद्वान ए. एस. जी. ने हमें अधिनियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से अध्याय 5 और 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा और क्रमशः धारा 64 (54) और धारा 65 (105) (ज़ज़ा) में निहित 'कर योग्य सेवा' की परिभाषा पर ले गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 01.07.2012 के बाद, वित्त अधिनियम, 1994 में नकारात्मक सूची और घोषित सेवाओं दोनों को शामिल करके बड़े संशोधन किए गए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 66 ई को पहली बार पेश किया गया था जिसमें घोषित सेवाओं को परिभाषित किया गया था।वह हमें अधिनियम की धारा 66 ई के उपखंड (एच) पर ले गए हैं।

ई.

एफ.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 डब्ल्यू. ई. एफ. 19.04.2006 अधिसूचना No.12 2006-सेवा कर द्वारा लागू हुआ। नियम 2 ए को अधिसूचना 29/2007 दिनांक 22.05.2007 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2007 के माध्यम से डाला गया है जो नीचे लिखा गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया हैः

जी.

“01.07.2012 से पहले यह इस प्रकार हैः

एच.

2 ए**.** कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सेवाओं के मूल्य का निर्धारणः

(1) धारा 67 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड
(जेडजेडजेडज

डजेडजेडजेड

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल, तब, यथास्थिति, मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया ऐसा मूल्य, खंड (i) के तहत कार्य अनुबंध सेवा के मूल्य का निर्धारण करने के लिए उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।"

बी.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना 32/2007-ST दिनांक 22.04.2007 के माध्यम से केंद्र सरकार ने अधिनियम, 1994 की धारा 93 और 94 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान के लिए संरचना योजना) नियम, 2007 पेश किए।उक्त नियमों का नियम 3 (1) इस प्रकार हैः

सी.

"3. (1) अधिनियम की धारा 67 और सेवा (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्य अनुबंध सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पास अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाय, कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करके, प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवा पर अपने सेवा कर दायित्व का निर्वहन करने का विकल्प होगा।

डी.

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित सकल राशि में मूल्य वर्धित कर (वैट) या बिक्री कर शामिल नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान किया गया।" 4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उप-नियमों को अधिसूचना No.23/2009-ST दिनांक 07.07.2009 के माध्यम से संशोधित किया गया और अधिसूचना 1/2011-ST दिनांक 01.03.2011 द्वारा आगे संशोधित किया गया।

ई.

एफ.

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1994 की धारा 67 कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है जो इस प्रकार हैः

“67. सेवा कर वसूलने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन

-1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए**,** किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य सेवा कर **-**

जी.

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि होगी;

एच.

((ख) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से धन शामिल नहीं है, ऐसी राशि धन में हो, जिसमें सेवा कर जोड़ा गया हो, वह प्रतिफल के बराबर है।

((ग) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, वह राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है।

बी.

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर के अतिरिक्त, ली जाने वाली सकल राशि के बराबर हो।

सी.

(3) कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई भी राशि शामिल होगी।

डी.

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मूल्य का निर्धारण ऐसी तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "विचार" में शामिल हैं

((i) प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए देय कोई भी राशि;

ई.

((ii) सेवा प्रदाता द्वारा किया गया कोई प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत और ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जाएं, कर योग्य सेवा प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सहमत होने के दौरान प्रभारित।

एफ.

(iii) शुल्क या कमीशन, यदि कोई हो, या, जैसा भी मामला हो, प्राप्त छूट, यानी लॉटरी टिकट के अंकित मूल्य में अंतर और जिस कीमत पर वितरक या बिक्री एजेंट को ऐसा टिकट मिलता है, उसके अलावा लॉटरी टिकट की सकल बिक्री राशि से लॉटरी वितरक या बिक्री एजेंट द्वारा रखी गई कोई भी राशि।(ग) "प्रभारित सकल राशि" में चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल है और 2 [पुस्तक समायोजन, और कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, किसी भी खाते में जमा या डेबिट की जाती है, चाहे वह "सस्पेंस खाता" हो या किसी अन्य नाम से, ए में।

जी.

एच.

989

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा बहियां, जहां कर योग्य सेवा का लेनदेन किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ होता है।]]" 4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांकित 22.05.2007 पत्र के माध्यम से वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से लाए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा 9.1 से 9.7 जो प्रासंगिक हैं, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता हैः

बी.

" 9.1 कार्य अनुबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समग्र अनुबंध है।एक समग्र कार्य अनुबंध सक्रिय है और-(i) भारत के संविधान के कार्य अनुबंध [Art.366 (29A) (b)] के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर वैट/बिक्री कर लगाया जाता है, और

सी.

((ii) कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाएगा।

9.2 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के लिए ली गई सकल राशि पर सेवा कर लगाया जाता है (धारा 67)।कार्य अनुबंध के मामले में, सेवाओं का कर योग्य मूल्य समग्र कार्य अनुबंध को विभाजित करके निर्धारित किया जाना है।सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए [अधिसूचना No.29/2007-Service कर, दिनांक 22.05.2007] में प्रावधान है कि कार्य अनुबंध सेवा का मूल्य कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के बराबर होगा, जो उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य से कम होगा।इस प्रकार, जहां भी सेवा प्रदाता अभिलेख रखता है, सेवाओं का मूल्य कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि होगी जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य से कम होगी।

डी.

ई.

एफ.

9.3 जहां भी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर वैट/बिक्री कर का भुगतान वास्तविक मूल्य पर किया जाता है, वही मूल्य कार्य अनुबंध सेवा के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है।अन्य मामलों में, कार्य अनुबंध सेवा का मूल्य वास्तविक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।यह भी समझाया गया है कि कार्य अनुबंध सेवा के मूल्य में शामिल होंगेः(i) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क; (ii) श्रम और सेवाओं के लिए एक उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि; (iii) योजना, डिजाइन और वास्तुकार के शुल्क के लिए शुल्क; (iv) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों को किराए पर या अन्यथा प्राप्त करने के लिए शुल्क; (v) पानी जैसी उपभोग्य सामग्रियों की लागत,

जी.

एच.

बिजली, ईंधन, जिसका उपयोग कार्य अनुबंध के निष्पादन में किया जाता है, वह संपत्ति जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरण नहीं किया जाता है; (vi) श्रम और सेवाओं की

आपूर्ति से संबंधित अनुबंध की स्थापना की लागत; (vii) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च; और (viii) श्रम और सेवा की आपूर्ति से संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित लाभ; 9.4 यदि कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि में वैट या बिक्री कर शामिल है, तो सेवा कर के उद्देश्यों के लिए मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाएगी:[प्रभारित सकल राशि-(कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण का मूल्य और उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के उक्त हस्तांतरण पर वैट या बिक्री कर, यदि कोई हो, का भुगतान)।9.5 व्यापार सुविधा उपाय के रूप में और प्रशासनिक सुविधा में आसानी के लिए, सेवा प्रदाता को कार्य अनुबंध सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए संयोजन योजना अपनाने का विकल्प दिया गया है।कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान के लिए संरचना योजना) नियम, 2007 को तदनुसार अधिसूचना No.32/2007-Service कर, दिनांक 22.05.2007 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

बी.

सी.

डी.

9.6 इस योजना में प्रावधान है कि सेवा प्रदाता के पास धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाय कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के 2 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा।कार्य अनुबंध के लिए ली जाने वाली सकल राशि में उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान किया गया वैट या बिक्री कर शामिल नहीं होगा।उक्त संयोजन योजना के तहत सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला कर योग्य सेवा प्रदाता सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्य अनुबंध में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश पर शुल्क का सेनवैट क्रेडिट लेने का हकदार नहीं है।

ई.

एफ.

9.7 कर योग्य सेवा प्रदाता जो इन नियमों के तहत सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, वह उक्त कार्य अनुबंध के संबंध में सेवा कर के भुगतान से पहले कार्य अनुबंध के संबंध में इस तरह के विकल्प का उपयोग करेगा और इस तरह का विकल्प पूरे कार्य अनुबंध के लिए लागू होगा और उक्त कार्य अनुबंध के पूरा होने तक वापस नहीं लिया जा सकता है।"

जी.

एच.

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.9 उपरोक्त प्रावधानों, नियमों और विनियमों और परिपत्रों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य अनुबंध एक अनुबंध है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की एक साथ आपूर्ति शामिल है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) के संदर्भ में बिक्री कर/वैट के लिए उत्तरदायी वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण में एक समग्र कार्य अनुबंध सक्रिय हो जाता है और सेवा कर डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2007 के लिए उत्तरदायी सेवा भाग।रिलायंस को लार्सन एंड टुब्रो (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

बी.

(पैराग्राफ **14** से **16)**।

4.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि लार्सन एंड टुब्रो **(**ऊपर**)** में इस न्यायालय का अनुपात यह होगा कि सेवा तत्वों की सूची में पाया गया है

गैनन डंकरली एंड कंपनी बनामराजस्थान राज्य**, (1993) 1** एससीसी

सी.

364 मामले में सेवा कर लगेगा और माल के हिस्से पर वैट या बिक्री कर लगेगा।

4.11.यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने

गैनन डंकर्ली एंड कंपनी (ऊपर) का मामला

पैरा 47 के अनुसार कर के उपाय में वस्तुओं के मूल्यांकन की लागत से बहिष्करणों की एक सूची प्रदान की गई थी और यह भी बताया गया था कि सेवा तत्वों का गठन क्या होगा।उन्होंने उक्त निर्णय के पैरा 47 पर बहुत अधिक भरोसा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने गन्नन के मामले में पैरा 47 में टिप्पणी की

डी.

डंकरली एंड कंपनी (ऊपर) निम्नानुसार हैः

“47. .....अतः किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और उसमें से श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क की कटौती की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

ई.

(क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;

एफ.

(ख) श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि; (ग) योजना, डिजाइन और वास्तुकार के शुल्क के लिए शुल्क; (घ) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किराए पर या अन्यथा उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण प्राप्त करने के लिए शुल्क;

जी.

(ङ) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली जल, बिजली, ईंधन आदि जैसी उपभोग्य सामग्रियों की लागत, वह संपत्ति जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरण नहीं किया जाता है; और

एच.

(च) ठेकेदार की स्थापना की लागत जिस हद तक श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

(छ) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च;

(ज) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।

बी.

इन शीर्षों के तहत कटौती योग्य राशियों का निर्धारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में किया जाना चाहिए।"

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त सेवा तत्वों को एक वैधानिक मान्यता मिली है क्योंकि इसे सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

सी.

4.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिणामस्वरूप यह न्यायालय व्यवहार करते समय

लार्सन एंड टुब्रो (ऊपर) के निर्णय के साथ विशेष रूप से

डी.

गन्नन डंकरली (ऊपर) में संविधान पीठ के निर्णय में उल्लिखित और मूल्यांकन नियम, 2006 के नियम 2 ए के रूप में तैयार किए गए सेवा तत्वों की समानता को लाकर इस मुद्दे को संबोधित किया।उक्त निर्णय के पैरा 25 और 26 पर भरोसा रखा गया है।

4.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि लार्सन एंड टुब्रो (ऊपर) में दिया गया इस न्यायालय का निर्णय बैच में पुनर्विचार के लिए आया था

ई.

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली प्रा. लि. के मामले में।

लिमिटेड (उपर्युक्त) जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 28 के माध्यम से पैराग्राफ 28 में टिप्पणी करके मामले को बड़ी पीठ को भेजने के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो निम्नानुसार हैः

एफ.

"28. इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए राजस्व की ओर से की गई प्रार्थना/प्रस्तुति की सराहना करते हुए

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) का मामला और

वृहत न्यायपीठ के मामले में, कुछ तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:—

जी.

(i) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्ष 2015 में दिया गया/पारित किया गया है, जिसमें यह विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व-वित्त अधिनियम, 2007 की अवधि के लिए अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर सेवा कर देय नहीं था;

एच.

993

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

((ii) संपूर्ण योजना और सेवा कर पूर्व-वित्त अधिनियम, 2007 के उद्ग्रहण पर विचार करने के बाद और ठोस कारण देने के बाद, इस न्यायालय द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि सेवा कर अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर पूर्व-वित्त अधिनियम, 2007 के उद्ग्रहण योग्य नहीं था।

(iii) यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पूर्व-वित्त अधिनियम, 2007 की अवधि के लिए, अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर, सेवा कर अधिरोपणीय नहीं है, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में कई निर्णयों पर विचार किया गया है और उन पर विचार किया गया है;

बी.

(iv) कि बाद में, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया गया है और सेवा आयुक्त के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

सी.

कर और अन्य। भयाना बिल्डर्स प्रा. लि. और ओआरएस, (2018) 3 एससीसी 782,;

(v) कि वर्ष 2015 में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, उक्त निर्णय का विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है;

डी.

(vi) विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णय, जो इस न्यायालय के निर्णय के बाद पारित किए गए थे।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला पूरा हो गया है।

ई.

अंतिमता और कई मामलों में, राजस्व ने उक्त निर्णयों को चुनौती नहीं दी है;

(vii) राजस्व द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा करने और/या वापस लेने के लिए कोई समीक्षा आवेदन दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।यदि राजस्व उनके विचार में इतना गंभीर था कि इसका निर्णय

एफ.

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय ने यह अपेक्षा की है कि

पुनः विचार करने पर, राजस्व को उस स्तर पर और/या उसके बाद भी समीक्षा आवेदन दायर करना चाहिए था।आज तक ऐसा कोई समीक्षा आवेदन दायर नहीं किया गया है।

जी.

(viii) केवल इसलिए कि बाद के मामलों में शामिल कर की राशि अधिक हो सकती है, पहले के बाध्यकारी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसका पूरे देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है।"

4.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा 65 (105) (ज़ज़ा), जो बाद में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई (एच) बन गई, के तहत जो कर लगाया जाता है, वह कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग है।वह धारा 67 (1) यह स्पष्ट करती है कि सेवा कर केवल कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय लार्सन एंड टुब्रो (उपरोक्त) के मामले में दोहराया गया है।

बी.

कुल पर्यावरण निर्माण (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया है कि माल

माल की संपत्ति के हस्तांतरण की प्रकृति के मूल्य पर बिक्री कर/वैट लगेगा और सेवा घटकों या तत्वों को धारा 65 (105)
(जेडजेडजेडज

अभिनिर्धारित करते हुए इसका उद्देश्य यह है कि उक्त नियम यह कहता है कि कार्य अनुबंध के सेवा घटक में दूसरे गन्नन डंकरली के मामले में निर्धारित 8 तत्व शामिल हैं और कार्य अनुबंध में सेवा के लिए जिम्मेदार मूल्य ऐसे अनुबंधों में सेवा तत्व होंगे क्योंकि केवल यह योजना संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगी क्योंकि यह एक समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंध को विभाजित करने का प्रयास करती है और यह ध्यान रखती है कि सेवा कर की गणना में प्रवेश करने वाले ऐसे अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित माल में संपत्ति के लिए कोई तत्व जिम्मेदार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मूल्यांकन नियमों के नियम 2 ए का उद्देश्य केवल सेवा कर के तत्वों को लाना है क्योंकि केवल वही संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और माल में संपत्ति के लिए जिम्मेदार किसी भी तत्व को सेवा कर की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए, प्रत्यर्थी -निर्धारिती का यह पूरा तर्क है कि उन्हें सेवा कर के रूप में माल के हिस्से पर भी कर का भुगतान करने का कानूनी अधिकार है और माल पर भुगतान किए गए शुल्क पर इनपुट क्रेडिट भी लेना स्पष्ट रूप से लार्सन एंड टुब्रो (उपरोक्त) निर्णय के पैरा 25 और मूल्यांकन नियम, 2006 के नियम 2 ए के विपरीत है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

995

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.18 अब जहां तक संयोजन योजना का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 01.06.2007 से 'कार्य अनुबंध सेवा' की परिभाषा के तहत आने वाले निर्धारिती को या तो मूल्यांकन नियमों के नियम 2A के तहत केवल सेवा घटकों पर इनपुट वस्तुओं पर कोई सेनवैट क्रेडिट लिए बिना सेवा कर देयता का निर्वहन करना होगा या एक संयोजन योजना के विकल्प के लिए जाना होगा, जिस स्थिति में विभिन्न बिंदुओं पर निर्दिष्ट कर की दरों का कुल अनुबंध मूल्य पर अनुपालन किया जाना चाहिए था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इनपुट वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने के बाद पूरे अनुबंध मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने की मांग करके प्रत्यर्थी -निर्धारिती का आविष्कार विधि स्पष्ट रूप से कानून में टिकाऊ नहीं है।यह तर्क कि नियम 2 ए धारा 67 के अधीन है, जो प्रत्यर्थी -निर्धारिती के अनुसार अनुबंध मूल्य पर कर के भुगतान की अनुमति देता है, जिसमें कार्य अनुबंध सेवा की योजना के विपरीत माल भी शामिल है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) के तहत जो वस्तु वस्तुओं के रूप

में गठित होगी, उसे कर योग्य सेवा और कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

बी.

सी.

4.19 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियमों सहपठित वित्त अधिनियम, 1994 या तो इनपुट वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट लिए बिना या संयोजन का विकल्प चुने बिना मूल्यांकन नियम, 2006 के नियम 2 ए के तहत परिकल्पित सेवा तत्वों पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए केवल 2 विकल्पों की अनुमति देता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वस्तुओं सहित कुल अनुबंध मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने और तदनुसार इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का तीसरा संस्करण न केवल गलत धारणा है, बल्कि एक संवैधानिक प्रतिबंध के अलावा कानूनी रूप से भी असमर्थनीय है।

डी.

ई.

4.20 अब जहाँ तक इस निर्णय पर निर्भरता रखी गई है

सेवा कर आयुक्त और अन्य के मामले में न्यायालय। भयाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस, (2018) 3 एससीसी 782 का संबंध है, यह है

एफ.

प्रस्तुत किया कि तथ्यों पर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत लार्सन एंड टुब्रो (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. डी. 1 दिनांकित परिपत्र भी यह स्पष्ट करता है कि किसी कार्य अनुबंध सेवा पर कर कैसे लगाया जाना चाहिए और मूल्यांकन नियम, 2006 के नियम 2 ए को संदर्भित पैरा 9.2 के माध्यम से यह पुष्टि करने के लिए कि कार्य अनुबंध सेवा का मूल्य कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के बराबर होगा, उक्त अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य को कम करेगा और पैरा 9.3 के माध्यम से सेवाओं के उन तत्वों का वर्णन किया गया है जो गन्नन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तत्वों के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं।

जी.

डंकरली **(**ऊपर**)**।

एच.

5. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

6. प्रत्यर्थी -निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. रघुरमन ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध विद्वान है।

बी.

6.1 वर्तमान अपील का विरोध करते हुए और सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेश के समर्थन में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(i) कि रचना योजना रचना नियमों के नियम 3 (1) के अनुसार वैकल्पिक है;

सी.

((ii) मूल्यांकन नियमों के नियम 2 ए के प्रावधान वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के अधीन हैं।

(iii) एक बार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों का पालन हो जाने के बाद, न तो मूल्यांकन नियमों के नियम 2 ए के लागू होने का सवाल उठता है और न ही निर्धारिती पर संरचना योजना के विकल्प को जबरन लागू करने का कोई सवाल होता है।

डी.

(iv) भले ही 1 जून, 2007 के बाद प्रत्यर्थी की सेवाओं को 'कार्य अनुबंध सेवा' के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया है, राजस्व का आगे दावा है कि कार्य अनुबंध सेवा के मूल्यांकन के लिए ऊपर के रूप में केवल दो विकल्प थे, अर्थात् संयोजन नियम और निर्धारिती के लिए उपलब्ध मूल्यांकन नियमों का नियम 2 ए और सेनवैट क्रेडिट की परिणामी गैर-स्वीकार्यता में कोई योग्यता नहीं है।

ई.

एफ.

(v) यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'कार्य अनुबंध सेवा' के मामले में भी, मूल्यांकन वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है और नियम 2 ए या संयोजन योजना के तहत निर्धारित मूल्यांकन विधियां केवल निर्धारिती को प्रदान किए गए विकल्प हैं;

जी.

(vi) इसलिए, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 या वित्त अधिनियम, 1994 में किसी विशिष्ट प्रतिबंध या निषेध के अभाव में उत्तरदाताओं को इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

एच.

997

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

6.2 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि विवादित आदेश पारित करते समय विद्वान न्यायाधिकरण ने सी. सी. ई. बनाम के मामले में अपने पहले के फैसले का सही ढंग से पालन विद्वान है। एस. वी. जिवानी, 2014 (35) एस. टी. आर. 351 की बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है जो पूरी तरह से लागू है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल्यांकन नियमों के संयोजन नियम और नियम 2 ए केवल सेवा प्रदाता को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में सेवा कर देयता के निर्वहन के लिए प्रदान किए गए विकल्प हैं।

बी.

6.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन नियमों का नियम 2 ए 'धारा 67 के प्रावधानों के अधीन' शब्दों से शुरू होता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसका मतलब यह होगा कि नियम 2 ए केवल तभी लागू होगा जब अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सेवा का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सी.

6.4 प्रत्यर्थी -निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि 01.07.2012 से पहले निर्धारिती के पास तीन विकल्प थेः

डी.

(i) धारा 67 के सिद्धांतों का पालन करें और पूर्ण मूल्य पर कर का भुगतान करें और इनपुट टैक्स क्रेडिट लें।

((ii) मूल्यांकन नियमों का नियम 2 एःमूल्यांकन नियमों के नियम 2 ए के संदर्भ में निर्धारित कर योग्य मूल्य पर पूर्ण लागू दर पर सेवा कर का भुगतान करना।निवेश पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने पर कोई रोक नहीं है।

ई.

((ग) रचना नियमःसंरचना नियमों के अनुसार अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि पर सेवा कर @2.06% (बढ़ाकर 4.12% W. E. F. 01.03.2008 कर दिया गया) का भुगतान करना।निवेश पर सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं होगा।

एफ.

6.5 01.07.2012 के बाद निर्धारिती के पास तीन विकल्प थेः

(i) धारा 67 के सिद्धांतों का पालन करें और पूर्ण मूल्य पर कर का भुगतान करें और इनपुट टैक्स क्रेडिट लें।

जी.

((ii) नियम 2 ए (i):सम्मिलित सामग्री के वास्तविक मूल्य में कटौती करने के बाद सेवा के कर योग्य मूल्य का निर्धारण करना।

(iii) नियम 2 (ii):कार्य अनुबंध के लिए ली गई कुल राशि के निर्दिष्ट प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करना।

एच.

6.6 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त योजना के तहत निर्धारिती के पास वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के तहत निर्माण सेवा या कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करने के लिए ली गई पूरी राशि पर पूर्ण मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प था। 6.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में निर्धारिती सीईएनवीएटी क्रेडिट नियम, 2004 के तहत पूर्ण सीईएनवीएटी क्रेडिट और इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए पात्र होगा या समय-समय पर संशोधित या नई अधिसूचना के साथ प्रतिस्थापित 15/2004-एचटी के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट उपशमन का विकल्प चुनकर मुख्य निर्माण सेवाओं के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए पात्र होगा; या मूल्यांकन नियमों के नियम 2 ए के संदर्भ में या संरचना नियमों के संदर्भ में 'कार्य अनुबंध सेवा' शीर्ष के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए।

बी.

सी.

6.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 'धारा 67 के अधीन' नियम 2 ए में उपयोग किए गए शब्द इस स्पष्ट विचार को व्यक्त करते हैं कि धारा 67 के तहत किया गया मूल्यांकन सर्वोच्च है और नियम अधिनियम के अधीन हैं।

6.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए संयोजन नियम पूरी तरह से निर्धारिती के लिए वैकल्पिक हैं ताकि निर्धारिती धारा 67 का विकल्प चुन सके।

डी.

6.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि निवेश पर सेनवैट शुल्क लेना केवल तभी वर्जित है जब कोई रचना नियमों का विकल्प चुनता है और धारा 67 के तहत अनुबंध के पूर्ण सकल मूल्य पर सामान्य प्रचलित दरों पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है।

ई.

6.11 प्रत्यर्थी की ओर से आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यदि योग्यता के आधार पर अपील की अनुमति दी जाए, तो न्यायाधिकरण ने सीमा की विस्तारित अवधि और/या अन्य मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और इसलिए मामलों को न्यायाधिकरण को वापस भेजा जा सकता है।

एफ.

7. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।8. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है वह यह है कि क्या एक निर्धारिती जो कार्य अनुबंध सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए का पालन नहीं करने का कानूनी अधिकार है और न ही इस आधार पर कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के संदर्भ में एक निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और कार्य अनुबंध सेवा के रूप में पूरे मूल्य पर सेवा कर प्रेषित करता है और इस प्रक्रिया में सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है?

जी.

एच.

999

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी -निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सहपठित वाओं को वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 'कार्य अनुबंध सहपठित वा' कहा जा सकता है।

8.2 लार्सन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार

और टुब्रो (ऊपर) और गैनन डंकरली एंड कंपनी (ऊपर) और कुल पर्यावरण निर्माण प्रणालियों के मामले में बाद का निर्णय

बी.

प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) कार्य अनुबंध के संबंध में एक निर्धारिती माल तत्व पर बिक्री कर और सेवा के लाभ/प्रदान की गई सेवा के मूल्य पर सेवा कर के लिए उत्तरदायी है।

8.3 गैनन डंकरली एंड कंपनी (ऊपर) के मामले में जबकि

सी.

पैरा 47 में कर के माप से निपटने के लिए इस न्यायालय ने वस्तुओं के मूल्यांकन की लागत से बहिष्करणों की एक सूची प्रदान की थी और यह भी बताया था कि सेवा तत्वों का गठन क्या होगा।उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार निम्नलिखित को माल के मूल्यांकन की लागत से बाहर रखा जाना है।

डी.

"47. .....अतः किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और उसमें से श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क की कटौती की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

ई.

(क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;

(ख) श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि; (ग) योजना, डिजाइन और वास्तुकार के शुल्क के लिए शुल्क;

(घ) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण किराए पर या अन्यथा प्राप्त करने के लिए शुल्क;

एफ.

(ङ) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली जल, बिजली, ईंधन आदि जैसी उपभोग्य सामग्रियों की लागत, वह संपत्ति जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरण नहीं किया जाता है; और (च) ठेकेदार की स्थापना की लागत जिस हद तक श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

जी.

(छ) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च;

(ज) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।

एच.

1000

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

इन शीर्षों के तहत कटौती योग्य राशियों का निर्धारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में किया जाना चाहिए।"

8.4 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसके बाद उपरोक्त सेवा तत्वों को सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2007 के नियम 2 ए के हिस्से के रूप में एक वैधानिक मान्यता मिली है, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है।लार्सन एंड टुब्रो (उपरोक्त) के मामले में नियम 2 ए की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है।इसलिए, 'कार्य अनुबंध सेवा' के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार एक निर्धारिती सेवा तत्व/प्रदान की गई सेवा के मूल्य पर सेवा कर और अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित माल के तत्व पर बिक्री कर/कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

बी.

सी.

8.5 उपरोक्त के आलोक में अब इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखे गए अगले मुख्य प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए और समग्र योजना के बावजूद भी निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार है जिसमें अधिनियम, 1994 की धारा 67 के संदर्भ में वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और कार्य अनुबंध सेवा के रूप में पूरे मूल्य पर सेवा कर प्रेषित करता है और निर्धारिती भी सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार है?

डी.

ई.

8.6 01.07.2012 से पहले लागू नियम 2A यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 2 ए एक कार्य के निष्पादन में शामिल सेवाओं के संबंध में कर योग्य सेवा के मूल्य के निर्धारण के लिए विशिष्ट प्रावधान है, संपर्क सेवा प्रदाता द्वारा नियम 2 ए (1) (i) के तहत प्रदान किए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात निर्धारित कार्य अनुबंध सेवा का मूल्य कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के बराबर होगा।नियम 2 ए के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि में कार्य अनुबंध के निष्पादन में

शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर मूल्य वर्धित कर (वैट) या बिक्री कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।01.07.2012 के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट कर दी गई है।किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में नियम 2 ए के अनुसार सेवा भाग के मूल्य का निर्धारण कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा जो कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के बराबर है और उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरित माल की संपत्ति के मूल्य को कम करता है।इसलिए, ऐसी चीजें जो इस ए के निर्णय के अनुसार पहले से ही थीं

एफ.

जी.

एच.

1001

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

गैनन डंकरली एंड कंपनी (ऊपर) और नियम 2 ए के मामले में न्यायालय

पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है।8.7 तथापि, नियम 3 (1) के अनुसार और अधिनियम की धारा 67 और नियम 2 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम अनुबंध सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पास कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के 2 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करके अधिनियम की धारा 67 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प होगा।स्पष्टीकरण में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि में वैट या बिक्री कर शामिल नहीं होगा, जैसा कि मामला उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान किया जा सकता है।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि पोस्ट 01.07.2012 नियम 2 ए विशेष रूप से प्रदान करता है कि कर योग्य सेवा सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्य अनुबंध में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश पर शुल्क या उपकर का सेनवैट क्रेडिट नहीं लेगी।

बी.

सी.

डी.

8.8 प्रत्यर्थी -निर्धारिती की ओर से यह मामला है कि नियम 2 ए और यहां तक कि रचना योजना में उपयोग किया गया शब्द धारा 67 के प्रावधानों के अधीन है, निर्धारिती के पास पूरे अनुबंध मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प था, यानी सेवा प्रदाता द्वारा ली गई

सकल राशि पर और यह कि नियम 2 ए अनिवार्य नहीं है और संरचना योजना वैकल्पिक है। हालाँकि, उपरोक्त में कोई सार नहीं है।यदि निर्धारिती की ओर से प्रस्तुतिकरण उस मामले में नियम 2 ए में स्वीकार किया जाता है और संरचना योजना वैकल्पिक हो जाएगी।8.9 'कार्य अनुबंध सेवा' और/या रचना कार्य अनुबंध के संबंध में मूल्यांकन नियम, 2006 के नियम 2 ए के अनुसार मूल्यांकन किया जाना है।यहां तक कि अधिसूचना 32/2007 दिनांक 22.04.2007 के अनुसार एक निर्धारिती के पास कार्य अनुबंध के लिए ली गई सकल राशि के 2 प्रतिशत के बराबर भुगतान करके अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाय प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवा पर सेवा कर देयता का निर्वहन करने का विकल्प होता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 3 (1) अधिनियम की धारा 67 और सेवा (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रदान करता है।इसलिए, अधिनियम की योजना के अनुसार कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य का निर्धारण नियम 2 ए के अनुसार किया जाना है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

निर्धारिती के लिए संयोजन योजना का लाभ उठाने का विकल्प।इसलिए, या तो निर्धारिती को संयोजन योजना के लिए जाना होगा या नियम 2 ए के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए जाना होगा और निर्धारिती को सेवा तत्व पर सेवा कर का भुगतान करना होगा और केवल उक्त राशि पर सेनवैट क्रेडिट का दावा कर सकता है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और पूरे मूल्य पर सेवा कर को 'कार्य अनुबंध' के रूप में प्रेषित करता है और निर्धारिती उसी पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है।

बी.

सी.

9.1 हालांकि, साथ ही सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए के संदर्भ में सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता है और चूंकि निर्धारिती ने संयोजन योजना का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए मामले को नियम 2 ए के संदर्भ में मांगों की पुनः गणना के लिए वापस भेजा जाना है। चूंकि सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा सीमा की विस्तारित अवधि के संबंध में भी निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी. ई. एस. टी. ए. टी. को भेजा जाना है।

डी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है और यह माना जाता है कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं और कार्य अनुबंध सेवा के रूप में मूल्य पर सेवा कर प्रेषित करता है और इस प्रक्रिया में, पूरी राशि पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का भी हकदार है।यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्धारिती को (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए के अनुसार सेवाओं के मूल्य पर सेवा कर का भुगतान करना होता है और उसके बाद उसी के अनुसार सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना होता है।हालांकि, यह भी देखा और माना जाता है कि जनवरी 2007 से मई 2007 की अवधि के लिए मांग अस्थिर है।

ई.

एफ.

10.1 इस मामले को देखते हुए अब सेवा कर की गणना (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2 ए के संदर्भ में की जानी चाहिए और चूंकि निर्धारिती ने संयोजन योजना का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए इस मामले को नियम 2 ए के संदर्भ में मांगों की पुनः गणना के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. को वापस भेज दिया जाता है।

जी.

जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि न्यायाधिकरण ने सीमा की विस्तारित अवधि के मुद्दे पर भी निर्णय नहीं लिया है।इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए, ए.

एच.

सी. सी. और सी. ई. और एस. टी., नोएडा बनाम एम./एस. इंटेरार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.]

मामला केवल नियम 2 ए के संदर्भ में मांगों की सीमा और पुनः संगणना के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. लिमिटेड को वापस भेजा जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा वर्तमान आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर रिमांड पर पूरी की जानी चाहिए।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.